राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – जय सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर – 244/2022

GCMS No. 2022/702

1. पिंकी पत्नी रणदीप जाति कुम्हार (प्रजापत) निवासी मकान नं. K–2, महिपालपुर, दक्षिण पश्चिमी दिल्ली
2. लक्ष्मीनारायण पुत्र दयालचन्द जाति कुम्हार (प्रजापत) निवासी मकान नं. 273, चन्दन मोहल्ल RCC पब्लिक विद्यालय के पास, दक्षिणी दिल्ली

........वादीगण

<u>ब–ना–म</u>

1. खजानी देवी पत्नी भोलाराम
2. राजेश कुमार पुत्र भोलाराम
3. ताराचन्द पुत्र छैलूराम
4. रामस्वरूप पुत्र मोहर सिंह
5. रोहताश पुत्र मोहर सिंह
6. चन्द्रकला पुत्री उमराव
7. सन्दीप पुत्र सुरेन्द्र नवीरा उमराव
8. कुलदीप पुत्र सुरेन्द्र नवीरा उमराव
9. प्रियंका पुत्री सुरेन्द्र नवीरा उमराव
10. कृष्णा पत्नी सुरेन्द्र
11. बनारसी पत्नी मूलाराम
12. धनपत पुत्र मूलाराम
13. सुमेर सिंह पुत्र मूलाराम
14. जले सिंह पुत्र मूलाराम
15. सतवीर पुत्र मूलाराम
16. धनकोरी पत्नी धुड़ाराम
17. रमेश पुत्री धुड़ाराम
18. इन्द्र सिंह पुत्र धुड़ाराम
19. दानाराम पुत्र धुड़ाराम
20. महिपाल पुत्र प्रभातीराम नवीरा छैलूराम
21. शेर सिंह पुत्र प्रभातीराम नवीरा छैलूराम
22. ज्याना पुत्र प्रभातीराम नवीरा छैलूराम
23. झीमो पुत्र छैलूराम

1 लगायत 24 समस्त जाति जाट निवासी मेहाड़ा जाटुवास तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with OKEN Scanner

24. मूलचन्द पुत्र जमनाराम जाति अहीर (यादव) निवासी ग्राम डाडाफतेहपुरा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
25. इण्डियन ओवरसीज बैंक कोलिहान नगर जरिये शाखा प्रबंधक।
26. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, खेतड़ी तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुं, राज0

........प्रतिवादीगण

दावा बाबत खाता विभाजन
अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–: निर्णय :– **दिनांक 06–02–2023**

उपर्युक्त उनवानी प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 20–12–2022 को प्राथमिक डिक्री का निर्णय पारित किया गया कि **ग्राम डाडाफतेहपुरा** तहसील खेतड़ी स्थित भूमि हाल खाता संख्या नया 80 में दर्ज खसरा नंबर 390, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405 कुल किता 12 कुल रकबा 4.43 है. में वादिया सं. 1 का 1/7 हिस्से का, वादी सं. 2 का 1/7 हिस्से का तथा प्रतिवादी सं. 24 का 5/28 हिस्से का अलग–अलग से खाता विभाजन कर लगान अलग से कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। पक्षकारान के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से व मौके पर कब्जा काश्त तथा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 एवं रास्तों सम्बन्धी राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 6.11.2004 को मध्य नजर रखते हुये विभाजन प्रस्ताव तैयार कर यथाशीघ्र भिजवाने हेतु तहसीलदार, खेतड़ी को तहरीर जारी की गई। तहसीलदार (भू.अ.), खेतड़ी ने अपने पत्र क्रमांक: भू.अ./2023/434 दिनांक 30.01.2023 से न्यायालय के निर्णयानुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किये गये जो शामिल पत्रावली किये गये।

बहस विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान विभाजन प्रस्ताव पर सुनी गई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान ने तहसीलदार, खेतड़ी द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव दिनांक 30–01–2023 के अनुसार अंतिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली पर उपलब्ध विभाजन प्रस्ताव दिनांक 30–01–2023 (प्रदर्श–''अ–1 लगा. अ–6'' व ''ब'') का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। अतः वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 30–01–2023 (प्रदर्श–''अ–1 लगा. अ–6'' व ''ब'') के अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

आदेश

अतः वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 30–01–2023 (प्रदर्श–''अ–1 लगा. अ–6'' व ''ब'') के अन्तिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 30–01–2023 (प्रदर्श–''अ–1 लगा. अ–6'' व ''ब'') इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगें। तहसीलदार खेतड़ी पक्षकारान के निवेदन पर प्रदर्श–''ब'' के अनुसार सीमांकन करवायेंगे। उक्तानुसार अन्तिम पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 06–02–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी
उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with OKEN Scanner

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, खेतड़ी जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी – जय सिंह, आर.ए.एस.

उनवान

पिंकी आदि

ब–ना–म

खजानी देवी आदि

दावा बाबत **खाता विभाजन**

मुकदमा नम्बर :– **244/2022**

निर्णय दिनांक :– **06–02–2023**

वादीगण की ओर से **श्री हेमराज सिंह एडवोकेट** की व प्रतिवादी सं. 24 की ओर से **श्री महेन्द्र सिंह निर्वाण एडवोकेट** की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख **06–02–2023** को मेरे समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि –

"अतः वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 30–01–2023 (प्रदर्श–"अ–1 लगा. अ–6" व "ब") के अन्तिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 30–01–2023 (प्रदर्श–"अ–1 लगा. अ–6" व "ब") इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगें।"

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख **06–02–2023** को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with OKEN Scanner